

50

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना-16 दिनांक .....

वर्ष 2019 में पटना जल जमाव पर गठित समिति का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरते जाने से संबंधित दोषी पदाधिकारी श्रीमती पुनम कुमारी, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-1185/11 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-734, दिनांक 10.02.2020 द्वारा किया गया है।

वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1) में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती पुनम कुमारी, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-1185/11 को संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिव महादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-27/आरोप-01-16/2020, सा०प्र०, 2348 /पटना, दिनांक 13-2-2020

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-27/आरोप-01-16/2020, सा०प्र०, 2348 /पटना, दिनांक 13-2-2020

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/श्रीमती पुनम कुमारी, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-1185/11 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-12,14/चारित्री कोषांग, एवं आई.टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-27/आरोप-01-16/2020, सा०प्र०, 2348 /पटना, दिनांक 13-2-2020

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।